

किरायानामा

मैं कि हरीश गुराणी पुत्र महेका गुराणी निवासी - जयपुर नैनीताल जिला नैनीताल का हूँ, किरायानामा का प्रथम पक्षकार भवन स्वामी हूँ, द्वितीय पक्षकार किरायेदार मैक्स लक्ष्मी दत्त बिनवाल द्वारा प्रोप- ज्योति कामलेख, जे० बी० होटल एण्ड रिटार्ट लोहाघाट अल्मोड़ा जिला अल्मोड़ा के है। मुझ प्रथम पक्ष भवन स्वामी द्वारा अपने उपरोक्त पते पर बने मकान को आप द्वितीय पक्षकार को मुचलिंग 1500/- रुपये प्रतिमाह के दर से किराया तैय कर दिनांक 1-1-2025 से वारंते ग्यारह माह या नि दिनांक 1-11-2025 तक

के लिये किराये पर दे दिया है जिसमें बिजली एवं पानी का बिल भी इसी किराये की राशि में सम्मिलित है। आप द्वितीय पक्ष द्वारा भवन का किराया पारम्भा होने के एक सप्ताह के अन्दर हर हालत में अदा कर दिया जायेगा।

किराये के मकान में बिना भवन स्वामी प्रथम पक्ष की अनुमति के कोई किसी प्रकार की रददो बदल नहीं की जायेगी। तथा किराये पर लिये गये भवन में किसी भी प्रकार का कोई गैर कानूनी कार्य करते पाये जाने उसकी पूर्ण जिम्मेदारी

द्वितीय पक्ष किरायेदार की होगी। किराये की निश्चित अवधि ग्यारह माह समाप्त हो जाने पर किरायेदारी पूर्ण रूप से निरस्त मानी एवं समझाई जायेगी, इस

अवधि के बाद यदि पक्षकारान के मध्य आपस में सहमति बनती है तो नया किरायानामा नई शर्तों के आधार पर तैयार करवा कर किरायेदारी आगे भी बढ़ायी जा सकती है।

ऐतएव यह किरायानामा पक्षकारान द्वारा बिना किसी जोर दबाव के स्वरु गवाहन के आज दिनांक 10-1-2025 को बमुकाम हल्द्वानी जिला नैनीताल में तैयार करवा दिया ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत पर काम आवे।

हस्ताक्षर

गवाहन

1 - *Dush*

2 - *Sh*

Srijay Kumar Sharma

IDENTIFIED BY
Meng Sumner

brish
हस्ताक्षर प्रथम पक्ष भवन स्वामी

Kanwal
हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष - किरायेदार

GANGA PRASAD
Advocate
Notary- HALDWANI
Distt. Nainital (U.S.) India